

कार्यालय कलेक्टर सरगुजा, अम्बिकापुर एवं पदेन उप सचिव,
छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

अधिसूचना

क्रमांक 9339 / भू-अर्जन / 2019

अम्बिकापुर, दिनांक 28/11/2019

भूमि अर्जन, पुनर्वासन, पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर तथा पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 8 सहपठित नियम 26 के अन्तर्गत

कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग क्र० 01, अम्बिकापुर, के द्वारा रिखी जलाशय योजना हेतु ग्राम करौंदी एवं ग्राम नमना तहसील-उदयपुर, में कुल 50 खातेदारों की कुल खसरा नं. 94, कुल रकबा 2.079 हे० निजी भूमि (ग्राम करौंदी, तहसील उदयपुर की कुल 27 खातेदारों की कुल खसरा नं. 56, कुल रकबा 1.199 हे०, तथा ग्राम नमना, तहसील उदयपुर की कुल 23 खातेदार की कुल खसरा नं. 38, कुल रकबा 0.880 हे०) के अर्जन हेतु प्रस्तावित है। इस प्रकरण में सामाजिक समाघात निर्धारण दल के द्वारा प्रस्तुत सामाजिक समाघात निर्धारण प्रतिवेदन/सामाजिक समाघात प्रबंधन योजना के मूल्यांकन हेतु इस कार्यालय के आदेश क्रमांक 7687/भू-अर्जन/2019, अम्बिकापुर, दिनांक 05/10/2019 के माध्यम से विशेषज्ञ समूह का गठन किया गया था। विशेषज्ञ समूह के द्वारा पत्र क्रमांक 9239/भू-अर्जन/2019, अम्बिकापुर, दिनांक 27/11/2019 के साथ मूल्यांकन प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है। उक्त प्रतिवेदन में उल्लेख किया गया है कि-

- (i) परियोजना का ग्राम के लोगों की सामाजिक, सांस्कृतिक एवं आर्थिक स्थिति पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा।
- (ii) ग्राम के प्राकृतिक संसाधनों (यथा मिट्टी, वायु, जल, वन) पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा।
- (iii) ग्राम की निजी/सार्वजनिक सम्पत्तियों, लोक सेवाओं और उपयोगिताओं पर परियोजना का कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा।
- (iv) परियोजना से लोक प्रयोजन की पूर्ति होती है।
- (v) परियोजना के सामाजिक खर्च एवं प्रतिकूल सामाजिक समाघात की तुलना में संभाव्य फायदे अधिक हैं।
- (vi) अर्जन हेतु प्रस्तावित भूमि की सीमा उस परियोजना के लिए आवश्यक पूर्णतया यथार्थ न्यूनतम सीमा तक है।
- (vii) परियोजना से ग्राम के लोगों का विस्थापन नहीं हो रहा है।

2- मूल्यांकन प्रतिवेदन के अनुसार कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग क्र० 01, अम्बिकापुर, के द्वारा रिखी जलाशय योजना हेतु ग्राम करौंदी एवं ग्राम नमना तहसील-उदयपुर, में कुल 50 खातेदारों की कुल खसरा नं. 94, कुल रकबा 2.079 हे० निजी भूमि अर्जित किये जाने हेतु विशेषज्ञ समूह द्वारा अनुशंसा की गई है।

3- सामाजिक समाघात निर्धारण प्रतिवेदन, सामाजिक समाघात प्रबंधन योजना, विशेषज्ञ समूह का मूल्यांकन प्रतिवेदन एवं अन्य सभी प्रासंगिक अभिलेखों के अवलोकन एवं विचारोपरांत मेरा निष्कर्ष निम्नानुसार है -

- (i) प्रस्तावित अर्जन के संबंध में एक विधिसम्मत और सद्भाविक लोक प्रयोजन है जिसके कारण प्रस्तावित भूमि का अर्जन आवश्यक हो गया है।
- (ii) परियोजना के सामाजिक खर्च एवं प्रतिकूल सामाजिक समाघात की तुलना में संभाव्य फायदे अधिक हैं।
- (iii) परियोजना के लिए अपेक्षित भूमि के न्यूनतम क्षेत्र का अर्जन किए जाने का प्रस्ताव है।
- (iv) इस परियोजना के लिए ऐसी कोई अनुपयोजित भूमि नहीं है, जिसका ग्राम करौंदी एवं ग्राम नमना तहसील-उदयपुर, में पूर्व में अर्जन किया गया है।
- (v) भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 2 की उपधारा (2) के परन्तुक के अधीन अपेक्षित प्रस्तावित कुटुम्बों की पूर्व सहमति विहित रीति एवं निर्धारित प्रारूप में अभिप्राप्त कर ली गई है।





(2)

अतएव विशेषज्ञ समूह की अनुशंसा के आधार पर (क) न्यूनतम विस्थापन (ख) अधोसंरचना पर न्यूनतम बाधा (ग) पर्यावरण पर न्यूनतम प्रभाव को सुनिश्चित करते हुए कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग क्र० 01, अम्बिकापुर, के द्वारा रिखी जलाशय योजना हेतु प्रस्तावित ग्राम करौंदी एवं ग्राम नमना तहसील-उदयपुर, में कुल 50 खातेदारों की कुल खसरा नं. 94, कुल रकबा 2.079 हे० निजी भूमि (ग्राम करौंदी, तहसील उदयपुर की कुल 27 खातेदारों की कुल खसरा नं. 56, कुल रकबा 1.199 हे०, तथा ग्राम नमना, तहसील उदयपुर की कुल 23 खातेदार की कुल खसरा नं. 38, कुल रकबा 0.880 हे०) का भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 एवं प्रासंगिक नियमों के अनुसार अर्जन का विनिश्चय किया जाता है।

(डॉ.सारांश मिस्त्र)

कलेक्टर

सरगुजा, अम्बिकापुर

अम्बिकापुर, दिनांक 28/11/2019

क्रमांक 9340 / भू-अर्जन/2019,
प्रतिलिपि-

1- सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर को सूचनार्थ सादर प्रेषित।

2- आयुक्त, सरगुजा संभाग, अम्बिकापुर को सूचनार्थ सादर प्रेषित।

3- मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत सरगुजा, अम्बिकापुर।

4- अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) उदयपुर, जिला-सरगुजा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित। कृपया संबंधित ग्राम पंचायत, अनुविभागीय अधिकारी कार्यालय, तहसील कार्यालय एवं प्रभावित ग्राम में अधिसूचना का तत्काल प्रकाशन कराए तथा पालन प्रतिवेदन इस कार्यालय को भिजवाना सुनिश्चित करें। आपको आदेशित किया जाता है कि भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 के अन्तर्गत रिखी जलाशय योजना के लिए सामाजिक समाघात प्रतिवेदन के संलग्नक में दर्शाये अनुसार (ग्राम करौंदी, तहसील उदयपुर की कुल 27 खातेदारों की कुल खसरा नं. 56, कुल रकबा 1.199 हे०, तथा ग्राम नमना, तहसील उदयपुर की कुल 23 खातेदार की कुल खसरा नं. 38, कुल रकबा 0.880 हे०) निजी भूमि के अर्जन हेतु पृथक-पृथक प्रकरण पंजीबद्ध करें तथा उक्त अधिनियम की धारा 11(1) के अन्तर्गत प्रकाशन हेतु प्रारंभिक अधिसूचना का प्रारूप तैयार कर प्रस्तुत करें।

5- जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, सरगुजा, अम्बिकापुर को अधिसूचना की एक प्रति जिले के वेबसाईट पर तथा छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग, की वेबसाईट पर अपलोड किए जाने हेतु प्रेषित।

6- प्रभारी अधिकारी, नजरात शाखा, कलेक्टर कार्यालय अम्बिकापुर को अधिसूचना की प्रति कलेक्टर कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा किए जाने हेतु प्रेषित।

7- तहसीलदार, उदयपुर, जिला-सरगुजा।

8- मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, उदयपुर, जिला सरगुजा।

9- कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग क्र० 01, अम्बिकापुर, जिला सरगुजा, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

कलेक्टर

सरगुजा, अम्बिकापुर

कार्यालय कलेक्टर सरगुजा, अम्बिकापुर एवं पदेन उप सचिव,
छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

9347

अधिसूचना

क्रमांक

/भू-अर्जन/2019

अम्बिकापुर, दिनांक 28/11/2019

भूमि अर्जन, पुनर्वासन, पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर तथा पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013
की धारा 8 सहपठित नियम 26 के अन्तर्गत

कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग क्र0 01, अम्बिकापुर, के द्वारा नारायणपुर व्यपवर्तन योजना हेतु ग्राम नारायणपुर, तहसील-उदयपुर, में कुल 08 खातेदारों की कुल खसरा नं. 09, कुल रकबा 0.331 हे0 निजी भूमि के अर्जन हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। इस प्रकरण में सामाजिक समाघात निर्धारण दल के द्वारा प्रस्तुत सामाजिक समाघात निर्धारण प्रतिवेदन/सामाजिक समाघात प्रबंधन योजना के मूल्यांकन हेतु इस कार्यालय के आदेश क्रमांक 7685/भू-अर्जन/2019, अम्बिकापुर, दिनांक 05/10/2019 के माध्यम से विशेषज्ञ समूह का गठन किया गया था। विशेषज्ञ समूह के द्वारा पत्र क्रमांक 9243/भू-अर्जन/2019, दिनांक 27/11/2019 के साथ मूल्यांकन प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है। उक्त प्रतिवेदन में उल्लेख किया गया है कि-

- (i) परियोजना का ग्राम के लोगों की सामाजिक, सांस्कृतिक एवं आर्थिक स्थिति पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा।
- (ii) ग्राम के प्राकृतिक संसाधनों (जथा निट्टी, वायु, जल, वन) पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा।
- (iii) ग्राम की निजी/सार्वजनिक सम्पत्तियों, लोक सेवाओं और उपयोगिताओं पर परियोजना का कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा।
- (iv) परियोजना से लोक प्रयोजन की पूर्ति होती है।
- (v) परियोजना के सामाजिक खर्च एवं प्रतिकूल सामाजिक समाघात की तुलना में संभाव्य फायदे अधिक हैं।
- (vi) अर्जन हेतु प्रस्तावित भूमि की सीमा उस परियोजना के लिए आवश्यक पूर्णतया यथार्थ न्यूनतम सीमा तक है।
- (vii) परियोजना से ग्राम के लोगों का विस्थापन नहीं हो रहा है।


2- मूल्यांकन प्रतिवेदन के अनुसार कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग क्र0 01, अम्बिकापुर, के द्वारा नारायणपुर व्यपवर्तन योजना हेतु ग्राम नारायणपुर, तहसील-उदयपुर, में कुल 08 खातेदारों की कुल खसरा नं. 09, कुल रकबा 0.331 हे0 निजी भूमि अर्जित किये जाने हेतु विशेषज्ञ समूह द्वारा अनुशंसा की गई है।

3- सामाजिक समाघात निर्धारण प्रतिवेदन, सामाजिक समाघात प्रबंधन योजना, विशेषज्ञ समूह का मूल्यांकन प्रतिवेदन एवं अन्य सभी प्रासंगिक अभिलेखों के अवलोकन एवं विचारोपरांत मेरा निष्कर्ष निम्नानुसार है -

- (i) प्रस्तावित अर्जन के संबंध में एक विधिसम्मत और सद्भाविक लोक प्रयोजन है जिसके कारण प्रस्तावित भूमि का अर्जन आवश्यक हो गया है।
- (ii) परियोजना के सामाजिक खर्च एवं प्रतिकूल सामाजिक समाघात की तुलना में संभाव्य फायदे अधिक हैं।
- (iii) परियोजना के लिए अपेक्षित भूमि के न्यूनतम क्षेत्र का अर्जन किए जाने का प्रस्ताव है।
- (iv) इस परियोजना के लिए ऐसी कोई अनुपयोजित भूमि नहीं है, जिसका ग्राम नारायणपुर, तहसील-उदयपुर, में पूर्व में अर्जन किया गया है।
- (v) भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 2 की उपधारा (2) के परन्तुक के अधीन अपेक्षित प्रभावित कुटुम्बों की पूर्व सहमति विहित रीति एवं निर्धारित प्रारूप में अभिप्राप्त कर ली गई है।

(2)

अतएव विशेषज्ञ समूह की अनुशंसा के आधार पर (क) न्यूनतम विस्थापन (ख) अधोसंरचना पर न्यूनतम बाधा (ग) पर्यावरण पर न्यूनतम प्रभाव को सुनिश्चित करते हुए कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग क्र0 01, अम्बिकापुर, के द्वारा नारायणपुर व्यपवर्तन योजना हेतु ग्राम नारायणपुर, तहसील-उदयपुर, में कुल 08 खातेदारों की कुल खसरा नं. 09, कुल रकबा 0.331 हे0 निजी भूमि का " भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 " एवं प्रासंगिक नियमों के अनुसार अर्जन का विनिश्चय किया जाता है।



(डॉ.सारांश मित्तर)

कलेक्टर

सरगुजा, अम्बिकापुर

अम्बिकापुर, दिनांक 28/11/2019

क्रमांक 9348 / भू-अर्जन / 2019.

प्रतिलिपि-

- 1- सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर को सूचनार्थ सादर प्रेषित।
- 2- आयुक्त, सरगुजा संभाग, अम्बिकापुर को सूचनार्थ सादर प्रेषित।
- 3- मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत सरगुजा, अम्बिकापुर।
- 4- अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) उदयपुर, जिला-सरगुजा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित। कृपया संबंधित ग्राम पंचायत, अनुविभागीय अधिकारी कार्यालय, तहसील कार्यालय एवं प्रभावित ग्राम में अधिसूचना का तत्काल प्रकाशन कराए तथा पालन प्रतिवेदन इस कार्यालय को भिजवाना सुनिश्चित करें। आपको आदेशित किया जाता है कि " भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 " के अन्तर्गत नारायणपुर व्यपवर्तन योजना के लिए सामाजिक समाघात प्रतिवेदन के संलग्नक में दर्शाये अनुसार ग्राम नारायणपुर, तहसील-उदयपुर, में कुल 08 खातेदारों की कुल खसरा नं. 09, कुल रकबा 0.331 हे0 निजी भूमि के अर्जन हेतु प्रकरण पंजीबद्ध करें तथा उक्त अधिनियम की धारा 11(1) के अन्तर्गत प्रकाशन हेतु प्रारंभिक अधिसूचना का प्रारूप तैयार कर प्रस्तुत करें।
- 5- जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, सरगुजा, अम्बिकापुर को अधिसूचना की एक प्रति जिले के वेबसाईट पर तथा छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग, की वेबसाईट पर अपलोड किए जाने हेतु प्रेषित।
- 6- प्रभारी अधिकारी, नजरात शाखा, कलेक्टर कार्यालय अम्बिकापुर को अधिसूचना की प्रति कलेक्टर कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा किए जाने हेतु प्रेषित।
- 7- तहसीलदार, उदयपुर, जिला-सरगुजा।
- 8- मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत उदयपुर, जिला सरगुजा।
- 9- कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग क्र0 01, अम्बिकापुर, जिला सरगुजा, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।



कलेक्टर

सरगुजा, अम्बिकापुर

कार्यालय कलेक्टर सरगुजा, अम्बिकापुर एवं पदेन उप सचिव,
छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

अधिसूचना

क्रमांक 9345 / भू-अर्जन / 2019

अम्बिकापुर, दिनांक 28/11/2019

भूमि अर्जन, पुनर्वासन, पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर तथा पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013
की धारा 8 सहपठित नियम 26 के अन्तर्गत

कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग क्र0 01, अम्बिकापुर, के द्वारा नकटीनाला व्यपवर्तन योजना हेतु ग्राम पण्डरीडांड, तहसील-उदयपुर, में कुल 08 खातेदारों की कुल खसरा नं. 11, कुल रकबा 0.610 हे0 निजी भूमि के अर्जन हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। इस प्रकरण में सामाजिक समाघात निर्धारण दल के द्वारा प्रस्तुत सामाजिक समाघात निर्धारण प्रतिवेदन/सामाजिक समाघात प्रबंधन योजना के मूल्यांकन हेतु इस कार्यालय के आदेश क्रमांक 7689/भू-अर्जन/2019, अम्बिकापुर, दिनांक 05/10/2019 के माध्यम से विशेषज्ञ समूह का गठन किया गया था। विशेषज्ञ समूह के द्वारा पत्र क्रमांक 9241/भू-अर्जन/2019, दिनांक 27/11/2019 के साथ मूल्यांकन प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है। उक्त प्रतिवेदन में उल्लेख किया गया है कि-

- (i) परियोजना का ग्राम के लोगो की सामाजिक, सांस्कृतिक एवं आर्थिक स्थिति पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा।
- (ii) ग्राम के प्राकृतिक संसाधनों (यथा मिट्टी, वायु, जल, वन) पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा।
- (iii) ग्राम की निजी/सार्वजनिक सम्पत्तियों, लोक सेवाओं और उपयोगिताओं पर परियोजना का कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा।
- (iv) परियोजना से लोक प्रयोजन की पूर्ति होती है।
- (v) परियोजना के सामाजिक खर्च एवं प्रतिकूल सामाजिक समाघात की तुलना में संभाव्य फायदे अधिक हैं।
- (vi) अर्जन हेतु प्रस्तावित भूमि की सीमा उस परियोजना के लिए आवश्यक पूर्णतया यथार्थ न्यूनतम सीमा तक है।
- (vii) परियोजना से ग्राम के लोगों का विस्थापन नहीं हो रहा है।

2- मूल्यांकन प्रतिवेदन के अनुसार कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग क्र0 01, अम्बिकापुर, के द्वारा नकटीनाला व्यपवर्तन योजना हेतु ग्राम पण्डरीडांड, तहसील-उदयपुर, में कुल 08 खातेदारों की कुल खसरा नं. 11, कुल रकबा 0.610 हे0 निजी भूमि अर्जित किये जाने हेतु विशेषज्ञ समूह द्वारा अनुशंसा की गई है।

3- सामाजिक समाघात निर्धारण प्रतिवेदन, सामाजिक समाघात प्रबंधन योजना, विशेषज्ञ समूह का मूल्यांकन प्रतिवेदन एवं अन्य सभी प्रासंगिक अभिलेखों के अवलोकन एवं विचारोपरांत मेरा निष्कर्ष निम्नानुसार है-

- (i) प्रस्तावित अर्जन के संबंध में एक विधिसम्मत और सद्भाविक लोक प्रयोजन है जिसके कारण प्रस्तावित भूमि का अर्जन आवश्यक हो गया है।
- (ii) परियोजना के सामाजिक खर्च एवं प्रतिकूल सामाजिक समाघात की तुलना में संभाव्य फायदे अधिक हैं।
- (iii) परियोजना के लिए अपेक्षित भूमि के न्यूनतम क्षेत्र का अर्जन किए जाने का प्रस्ताव है।
- (iv) इस परियोजना के लिए ऐसी कोई अनुपयोजित भूमि नहीं है, जिसका ग्राम पण्डरीडांड, तहसील-उदयपुर, में पूर्व में अर्जन किया गया है।
- (v) भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 2 की उपधारा (2) के परन्तुक के अधीन अपेक्षित प्रभावित कुटुम्बों की पूर्व सहनति विहित रीति एवं निर्धारित प्रारूप में अभिप्राप्त कर ली गई है।



(2)

अतएव विशेषज्ञ समूह की अनुशंसा के आधार पर (क) न्यूनतम विस्थापन (ख) अधोसंरचना पर न्यूनतम बाधा (ग) पर्यावरण पर न्यूनतम प्रभाव को सुनिश्चित करते हुए कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग क्र० 01, अम्बिकापुर, के द्वारा नकटीनाला व्यपवर्तन योजना हेतु ग्राम पण्डरीडांड, तहसील-उदयपुर, में कुल 08 खातेदारों की कुल खसरा नं. 11, कुल रकबा 0.610 हे० निजी भूमि का " भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 " एवं प्रासंगिक नियमों के अनुसार अर्जन का विनिश्चय किया जाता है।



(डॉ. सारांश मित्र)

कलेक्टर

सरगुजा, अम्बिकापुर

अम्बिकापुर, दिनांक 28/11/2019

क्रमांक 9346/भू-अर्जन/2019,
प्रतिलिपि-

- 1- सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर को सूचनार्थ सादर प्रेषित।
- 2- आयुक्त, सरगुजा संभाग, अम्बिकापुर को सूचनार्थ सादर प्रेषित।
- 3- मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत सरगुजा, अम्बिकापुर।
- 4- अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) उदयपुर, जिला-सरगुजा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित। कृपया संबंधित ग्राम पंचायत, अनुविभागीय अधिकारी कार्यालय, तहसील कार्यालय एवं प्रभावित ग्राम में अधिसूचना का तत्काल प्रकाशन कराएं तथा पालन प्रतिवेदन इस कार्यालय को भिजवाना सुनिश्चित करें। आपको आदेशित किया जाता है कि " भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 " के अन्तर्गत नकटीनाला व्यपवर्तन योजना के लिए सामाजिक समाघात प्रतिवेदन के संलग्नक में दर्शाये अनुसार ग्राम पण्डरीडांड, तहसील-उदयपुर, में कुल 08 खातेदारों की कुल खसरा नं. 11, कुल रकबा 0.610 हे० निजी भूमि के अर्जन हेतु प्रकरण पंजीबद्ध करें तथा उक्त अधिनियम की धारा 11(1) के अन्तर्गत प्रकाशन हेतु प्रारंभिक अधिसूचना का प्रारूप तैयार कर प्रस्तुत करें।
- 5- जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, सरगुजा, अम्बिकापुर को अधिसूचना की एक प्रति जिले के वेबसाईट पर तथा छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग, की वेबसाईट पर अपलोड किए जाने हेतु प्रेषित।
- 6- प्रभारी अधिकारी, नजरात शाखा, कलेक्टर कार्यालय अम्बिकापुर को अधिसूचना की प्रति कलेक्टर कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा किए जाने हेतु प्रेषित।
- 7- तहसीलदार, उदयपुर, जिला-सरगुजा।
- 8- मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत उदयपुर, जिला सरगुजा।
- 9- कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग क्र० 01, अम्बिकापुर, जिला सरगुजा, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।



कलेक्टर

सरगुजा, अम्बिकापुर

कार्यालय कलेक्टर सरगुजा, अम्बिकापुर एवं पदेन उप सचिव,
छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

अधिसूचना

9341

क्रमांक

/भू-अर्जन/2019

अम्बिकापुर, दिनांक 28/11/2019

भूमि अर्जन, पुनर्वासन, पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर तथा पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013
की धारा 8 सहपठित नियम 26 के अन्तर्गत

कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग क्र० 01, अम्बिकापुर, के द्वारा मतरिगा व्यपवर्तन योजना हेतु ग्राम मतरिगा, तहसील-उदयपुर, में कुल 04 खातेदारों की कुल खसरा नं. 10, कुल रकबा 1.221 हे० निजी भूमि के अर्जन हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। इस प्रकरण में सामाजिक समाघात निर्धारण दल के द्वारा प्रस्तुत सामाजिक समाघात निर्धारण प्रतिवेदन/सामाजिक समाघात प्रबंधन योजना के मूल्यांकन हेतु इस कार्यालय के आदेश क्रमांक 7630/भू-अर्जन/2019, अम्बिकापुर, दिनांक 04/10/2019 के माध्यम से विशेषज्ञ समूह का गठन किया गया था। विशेषज्ञ समूह के द्वारा पत्र क्रमांक 9242/भू-अर्जन/2019, दिनांक 27/11/2019 के साथ मूल्यांकन प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है। उक्त प्रतिवेदन में उल्लेख किया गया है कि-

- (i) परियोजना का ग्राम के लोगों की सामाजिक, सांस्कृतिक एवं आर्थिक स्थिति पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा।
- (ii) ग्राम के प्राकृतिक संसाधनों (यथा मिट्टी, वायु, जल, वन) पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा।
- (iii) ग्राम की निजी/सार्वजनिक सम्पत्तियों, लोक सेवाओं और उपयोगिताओं पर परियोजना का कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा।
- (iv) परियोजना से लोक प्रयोजन की पूर्ति होती है।
- (v) परियोजना के सामाजिक खर्च एवं प्रतिकूल सामाजिक समाघात की तुलना में संभाव्य फायदे अधिक हैं।
- (vi) अर्जन हेतु प्रस्तावित भूमि की सीमा उस परियोजना के लिए आवश्यक पूर्णतया यथार्थ न्यूनतम सीमा तक है।
- (vii) परियोजना से ग्राम के लोगों का विस्थापन नहीं हो रहा है।

2- मूल्यांकन प्रतिवेदन के अनुसार कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग क्र० 01, अम्बिकापुर, के द्वारा मतरिगा व्यपवर्तन योजना हेतु ग्राम मतरिगा, तहसील-उदयपुर, में कुल 04 खातेदारों की कुल खसरा नं. 10, कुल रकबा 1.221 हे० निजी भूमि अर्जित किये जाने हेतु विशेषज्ञ समूह द्वारा अनुशंसा की गई है।


3- सामाजिक समाघात निर्धारण प्रतिवेदन, सामाजिक समाघात प्रबंधन योजना, विशेषज्ञ समूह का मूल्यांकन प्रतिवेदन एवं अन्य सभी प्रासंगिक अभिलेखों के अवलोकन एवं विचारोपरांत मेरा निष्कर्ष निम्नानुसार है -

- (i) प्रस्तावित अर्जन के संबंध में एक विधिसम्मत और सद्भाविक लोक प्रयोजन है जिसके कारण प्रस्तावित भूमि का अर्जन आवश्यक हो गया है।
- (ii) परियोजना के सामाजिक खर्च एवं प्रतिकूल सामाजिक समाघात की तुलना में संभाव्य फायदे अधिक हैं।
- (iii) परियोजना के लिए अपेक्षित भूमि के न्यूनतम क्षेत्र का अर्जन किए जाने का प्रस्ताव है।
- (iv) इस परियोजना के लिए ऐसी कोई अनुपयोजित भूमि नहीं है, जिसका ग्राम मतरिगा, तहसील-उदयपुर, में पूर्व में अर्जन किया गया है।
- (v) भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 2 की उपधारा (2) के परन्तुक के अधीन अपेक्षित प्रभावित कुटुम्बों की पूर्व सहमति विहित रीति एवं निर्धारित प्रारूप में अभिप्राप्त कर ली गई है।



(2)

अतएव विशेषज्ञ समूह की अनुशंसा के आधार पर (क) न्यूनतम विस्थापन (ख) अधोसंरचना पर न्यूनतम बाधा (ग) पर्यावरण पर न्यूनतम प्रभाव को सुनिश्चित करते हुए कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग क्र० 01, अम्बिकापुर, के द्वारा मतरिंगा व्यपवर्तन योजना हेतु ग्राम मतरिंगा, तहसील-उदयपुर, में कुल 04 खातेदारों की कुल खसरा नं. 10, कुल रकबा 1.221 हे० निजी भूमि का " भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 " एवं प्रासंगिक नियमों के अनुसार अर्जन का विनिश्चय किया जाता है।



(डॉ. सारांश मिस्त्र)

कलेक्टर

सरगुजा, अम्बिकापुर

अम्बिकापुर, दिनांक 28/11/2019

9342

क्रमांक / भू-अर्जन / 2019.

प्रतिलिपि-

- 1- सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर को सूचनार्थ सादर प्रेषित।
- 2- आयुक्त, सरगुजा सभाग, अम्बिकापुर को सूचनार्थ सादर प्रेषित।
- 3- मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत सरगुजा, अम्बिकापुर।
- 4- अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) उदयपुर, जिला-सरगुजा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित। कृपया संबंधित ग्राम पंचायत, अनुविभागीय अधिकारी कार्यालय, तहसील कार्यालय एवं प्रभावित ग्राम में अधिसूचना का तत्काल प्रकाशन कराएं तथा पालन प्रतिवेदन इस कार्यालय को भिजवाना सुनिश्चित करें। आपको आदेशित किया जाता है कि " भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 " के अन्तर्गत मतरिंगा व्यपवर्तन योजना के लिए सामाजिक समाघात प्रतिवेदन के संलग्नक में दर्शाये अनुसार ग्राम मतरिंगा, तहसील-उदयपुर, में कुल 04 खातेदारों की कुल खसरा नं. 10, कुल रकबा 1.221 हे० निजी भूमि के अर्जन हेतु प्रकरण पंजीबद्ध करें तथा उक्त अधिनियम की धारा 11(1) के अन्तर्गत प्रकाशन हेतु प्रारंभिक अधिसूचना का प्रारूप तैयार कर प्रस्तुत करें।
- 5- जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, सरगुजा, अम्बिकापुर को अधिसूचना की एक प्रति जिले के वेबसाईट पर तथा छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग, की वेबसाईट पर अपलोड किए जाने हेतु प्रेषित।
- 6- प्रभारी अधिकारी, नजरात शाखा, कलेक्टर कार्यालय अम्बिकापुर को अधिसूचना की प्रति कलेक्टर कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा किए जाने हेतु प्रेषित।
- 7- तहसीलदार, उदयपुर, जिला-सरगुजा।
- 8- मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत उदयपुर, जिला सरगुजा।
- 9- कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग क्र० 01, अम्बिकापुर, जिला सरगुजा, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।



कलेक्टर

सरगुजा, अम्बिकापुर

कार्यालय कलेक्टर सरगुजा, अम्बिकापुर एवं पदेन उप सचिव,
छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

अधिसूचना

क्रमांक 9343 / भू-अर्जन / 2019

अम्बिकापुर, दिनांक 28/11/2019

भूमि अर्जन, पुनर्वासन, पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर तथा पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013
की धारा 8 सहपठित नियम 26 के अन्तर्गत

कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग क्र0 01, अम्बिकापुर, के द्वारा गुमगा व्यपवर्तन योजना हेतु ग्राम गुमगा, तहसील-उदयपुर, में कुल 20 खातेदारों की कुल खसरा नं. 36 कुल रकबा 3.581 हे0 निजी भूमि के अर्जन हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। इस प्रकरण में सामाजिक समाघात निर्धारण दल के द्वारा प्रस्तुत सामाजिक समाघात निर्धारण प्रतिवेदन/सामाजिक समाघात प्रबंधन योजना के मूल्यांकन हेतु इस कार्यालय के आदेश क्रमांक 7683/भू-अर्जन/2019, अम्बिकापुर, दिनांक 05/10/2019 के माध्यम से विशेषज्ञ समूह का गठन किया गया था। विशेषज्ञ समूह के द्वारा पत्र क्रमांक 9240/भू-अर्जन/2019, दिनांक 27/11/2019 के साथ मूल्यांकन प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है। उक्त प्रतिवेदन में उल्लेख किया गया है कि--

- (i) परियोजना का ग्राम के लोगो की सामाजिक, सांस्कृतिक एवं आर्थिक स्थिति पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा।
- (ii) ग्राम के प्राकृतिक संसाधनों (यथा मिट्टी, वायु, जल, वन) पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा।
- (iii) ग्राम की निजी/सार्वजनिक सम्पत्तियों, लोक सेवाओं और उपयोगिताओं पर परियोजना का कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा।
- (iv) परियोजना से लोक प्रयोजन की पूर्ति होती है।
- (v) परियोजना के सामाजिक खर्च एवं प्रतिकूल सामाजिक समाघात की तुलना में संभाव्य फायदे अधिक हैं।
- (vi) अर्जन हेतु प्रस्तावित भूमि की सीमा उस परियोजना के लिए आवश्यक पूर्णतया यथार्थ न्यूनतम सीमा तक है।
- (vii) परियोजना से ग्राम के लोगों का विस्थापन नहीं हो रहा है।

2- मूल्यांकन प्रतिवेदन के अनुसार कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग क्र0 01, अम्बिकापुर, के द्वारा गुमगा व्यपवर्तन योजना हेतु ग्राम गुमगा, तहसील-उदयपुर, में कुल 20 खातेदारों की कुल खसरा नं. 36, कुल रकबा 3.581 हे0 निजी भूमि अर्जित किये जाने हेतु विशेषज्ञ समूह द्वारा अनुशंसा की गई है।

3- सामाजिक समाघात निर्धारण प्रतिवेदन, सामाजिक समाघात प्रबंधन योजना, विशेषज्ञ समूह का मूल्यांकन प्रतिवेदन एवं अन्य सभी प्रासंगिक अभिलेखों के अवलोकन एवं विचारोपरांत मेरा निष्कर्ष निम्नानुसार है -

- (i) प्रस्तावित अर्जन के संबंध में एक विधिसम्मत और सद्भाविक लोक प्रयोजन है जिसके कारण प्रस्तावित भूमि का अर्जन आवश्यक हो गया है।
- (ii) परियोजना के सामाजिक खर्च एवं प्रतिकूल सामाजिक समाघात की तुलना में संभाव्य फायदे अधिक हैं।
- (iii) परियोजना के लिए अपेक्षित भूमि के न्यूनतम क्षेत्र का अर्जन किए जाने का प्रस्ताव है।
- (iv) इस परियोजना के लिए ऐसी कोई अनुपयोजित भूमि नहीं है, जिसका ग्राम गुमगा, तहसील-उदयपुर, में पूर्व में अर्जन किया गया है।
- (v) भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 2 की उपधारा (2) के परन्तुक के अधीन अपेक्षित प्रभावित कुटुम्बों को पूर्व सहमति विहित रीति एवं निर्धारित प्रारूप में अभिप्राप्त कर ली गई है।



2532

(2)

अतएव विशेषज्ञ समूह की अनुशंसा के आधार पर (क) न्यूनतम विस्थापन (ख) अधोसंरचना पर न्यूनतम बाधा (ग) पर्यावरण पर न्यूनतम प्रभाव को सुनिश्चित करते हुए कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग क्र0 01, अम्बिकापुर, के द्वारा गुमगा व्यपवर्तन योजना हेतु ग्राम गुमगा, तहसील-उदयपुर, में कुल 20 खातेदारों की कुल खसरा नं. 36, कुल रकबा 3.581 हे0 निजी भूमि का भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 एवं प्रासंगिक नियमों के अनुसार अर्जन का विनिश्चय किया जाता है।



(डॉ. सारांश मिस्त्र)

कलेक्टर

सरगुजा, अम्बिकापुर

अम्बिकापुर, दिनांक 28/11/2019

क्रमांक 9344 / भू-अर्जन / 2019,
प्रतिलिपि-

1- सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर को सूचनार्थ सादर प्रेषित।

2- आयुक्त, सरगुजा संभाग, अम्बिकापुर को सूचनार्थ सादर प्रेषित।

3- मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत सरगुजा, अम्बिकापुर।

4- अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) उदयपुर, जिला-सरगुजा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित। कृपया संबंधित ग्राम पंचायत, अनुविभागीय अधिकारी कार्यालय, तहसील कार्यालय एवं प्रभावित ग्राम में अधिसूचना का तत्काल प्रकाशन कराए तथा पालन प्रतिवेदन इस कार्यालय को भिजवाना सुनिश्चित करें। आपको आदेशित किया जाता है कि "भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम", 2013 के अन्तर्गत गुमगा व्यपवर्तन योजना के लिए सामाजिक समाघात प्रतिवेदन के संलग्नक में दर्शाये अनुसार ग्राम गुमगा, तहसील-उदयपुर, में कुल 20 खातेदारों की कुल खसरा नं. 36, कुल रकबा 3.581 हे0 निजी भूमि के अर्जन हेतु प्रकरण पंजीबद्ध करें तथा उक्त अधिनियम की धारा 11(1) के अन्तर्गत प्रकाशन हेतु प्रारंभिक अधिसूचना का प्रारूप तैयार कर प्रस्तुत करें।

5- जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, सरगुजा, अम्बिकापुर को अधिसूचना की एक प्रति जिले के वेबसाइट पर तथा छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग, की वेबसाइट पर अपलोड किए जाने हेतु प्रेषित।

6- प्रभारी अधिकारी, नजरात शाखा, कलेक्टर कार्यालय अम्बिकापुर को अधिसूचना की प्रति कलेक्टर कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा किए जाने हेतु प्रेषित।

7- तहसीलदार, उदयपुर, जिला-सरगुजा।

8- मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत उदयपुर, जिला सरगुजा।

9- कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग क्र0 01, अम्बिकापुर, जिला सरगुजा, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।



कलेक्टर

सरगुजा, अम्बिकापुर